<u>महत्वपूर्ण/प्राथमिकता</u>

<u>संख्या-46/10/84-डे0ई0-14-924/2013</u>

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप डे0ई0 लखनऊ :: दिनांक 31 जनवरी, 2014

विषय:- स्व0 श्री ब्रहम्मादीन सहायक ग्रेड-1, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय, लखनऊ को चिकित्सा पर व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-298स्था0एस0/बत्तीस-2013, दिनांक 26-12-2013 के संदर्भ में स्व0 श्री ब्रहम्मादीन सहायक ग्रेड-1, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम मुख्यालय, लखनऊ को चिकित्सा पर व्यय प्रतिपूर्ति से संबंधित अनिवार्यता प्रमाण पत्र तथा बिल बाउचर्स मूलरूप रूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 31 मई, 1996 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार स्व0 श्री ब्रहम्मादीन सहायक ग्रेड-1 के आश्रितों को उनके कैंसर उपचार पर व्यय हुयी धनराशि रू0 1,47,691.00 के सापेक्ष मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर संसतुत की गयी धनराशि रू0 1,31,759.00 (रूपये एक लाख इक्तीस हजार सात सौ उनसठ मात्र) के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान कराने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2- यह आदेश सार्वजनिक उद्यम विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:: यथोक्त(अनिवार्यता प्रमाण पत्र
एवं बिल बाउचर्स मूलरूप में)

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/